उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ–22601

संख्या–518–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2010–19–प्र0सु0/2004 दिनॉक 02 जुलाई, 10.

1– प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वांचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।

2– प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

विषय :–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत "सूचना" की परिभाषा के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–805/चौबीस–पी–3–2010 दिनॉक 21.05 2010 एवं उसके साथ संलग्न पत्र संख्या–274/43–2–2010 दिनॉक–09.03.2010 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(F) में सूचना की परिभाषा दी गई है। सूचना की परिभाषा के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–01/07/2009–आई0आर0, दिनॉक 01 जून, 2009 द्वारा मुबंई उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिया गया है:–

"सूचना की परिभाषा अपने दायरे में 'क्यों' वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है। ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगा। लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मॉग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया। औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।"

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने नियन्त्रणाधीन समस्त इकाइयों से सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

11/7/2010

(अशोक कुमार गुप्ता)
उपसचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0)

संख्या–518–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2010 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बद्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3 अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
4 निजी सचिव, सम्बद्ध अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5 अपर सचिव (का0प्र0–01/02/03/अराजपत्रित), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6 अपीलीय अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन मुख्यालय, लखनऊ।
7 समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण निगम लि0।

संलग्नक–यथोपरि।

आज्ञा से,

11/7/2010

(अशोक कुमार गुप्ता)
उपसचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0)

प्रेषक:

देवी प्रसाद
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

०4261 नि०/का०प्र० एवं प्रशा०/काकालि/20
संख्या 487 प्र०सु०-01/का०का०लि० 200
पत्रावली संख्या 9-प्र.सु./2004
क्रम संख्या 203

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
लखनऊ।

2. निदेशक,
विद्युत सुरक्षा निदेशालय,
लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-३ लखनऊ : दिनांक 2 मई 2010

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत "सूचना" की परिभाषा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र संख्या-2/4/43-2-2010, दिनांक 9.03.2010 की छायाप्रति संलग्नकर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
(देवी प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या ...(1)/चौबीस-पी-3-2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रशासनिक सुधार अनुभाग को उपरोक्त के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(देवी प्रसाद)
अनु सचिव।

संयुक्त सचिव (प्रशासनिक सुधार)

कृपया अनुस्मृति के साथ प्रेषित। कि उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को Circular जारी कर दिया जाय।

21/5/10

संo 274/43-2-2010

प्रेषक,

अनीता सिंह,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग –2 लखनऊः दिनॉक 09 मार्च 2010

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत "सूचना" की परिभाषा के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूरे भारत में (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है। अधिनियम की धारा 2(f) में सूचना की परिभाषा का उल्लेख है।

2– भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1/7/2009–आई.आर., दिनांक 01 जून, 2009 द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिया गया है :–

"सूचना की परिभाषा अपने दायरे में 'क्यों' वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है। ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगा। लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मॉग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया। औचित्य पर निर्णय फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।"

कृपया उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ सागरत, लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)

सचिव।